5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0 क0 /2015 निगरानी /3642/ II-15

1– प्रेम कुँअर बेवा नारायण प्रसाद आयु 75 वर्ष पेशा ग्रहकार्य निवासी ग्राम उदगवां जिला दतिया म0 प्र0

2– रमेश चन्द्र आयु 60 वर्ष पेशा कृर्षि

3– भगवती प्रसाद आयु 55 साल पेशा कृर्षि

4– रामगोपाल आयु 40 साल पेशा कृर्षि पुत्रगण स्व0 नारायण प्रसाद नायक निवासी ग्राम उदगवां तहसील व जिला दतिया म0 प्र0 ....आवेदकगण

बनाम

1– श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री कैलाश प्रसाद नायक पत्नि संतोष कुमार विरथरिया निवासी ग्राम मेहरा तहसील लहार जिला भिण्ड म0 प्र0

2–श्रीमती सियाजू पत्नि हरचरण पुत्री नारायण प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम लिधौरा जिला दतिया म0 प्र0

3– श्रीमती ममता पुत्री नारायण प्रसाद पत्नि पप्पू उर्फ बखर निवासी लॉच तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म0 प्र0

4– म0 प्र0 शासन वास्ते हल्का पटवारी उदगुवां

.... अनावेदकगण

श्री आनन्द कुमार दुबे एड.
द्वारा आज दि. 2-11-15 को
प्रस्तुत
2-11-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता योग्य अधीनस्थ अधिकारी एस. डी. ओ. दतिया श्री वीरेन्द्र कटारे द्वारा प्रकरण कमांक 05 /अपील 14–15 रेखा बनाम प्रेमकुँअर आदि में पारित आदेश दिनांक 30–9–15 दुखित होकर

A.K. Dubey
2/11/15

————

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

R 3642 **अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण कमांक निग. [illegible] / दो / 2015 **जिला** दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश प्रेमकुंअर / रेखा	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आनंद कुमार दुवे उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में कहा कि गैरनिगराकार कमांक 1 रेखा ने प्रकरण पारिवारिक सहमति के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.3.09 को किए गये बटवारे से संबंधित है। अनावेदक क. 1 रेखा जो कि आवेदिका कमांक 1 की पुत्री है द्वारा पूर्व में सहमति दिए जाने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना हिस्सा लेने के लिए 2014 में नये सिरे से अपील करना उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब की माफी करना अनुपयुक्त है। जिस आधार पर निगरानी दायर करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.9.15 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने विलम्ब माफी के संबंध में न्यायहित का ध्यान रखते हुए एक बोलता हुआ आदेश पारित किया है क्यों-कि उनका प्रथमदृष्ट्या इस बाबत् समाधान था कि प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना है न्याय संगत होगा। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	